डिक्री बमूकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी : अभिलाषा, आर.ए.एस.

वादी

राजस्व वाद संख्या 46/2021

1. भंवरलाल पुत्र तेजाराम
2. जेठाराम पुत्र तेजाराम जातियान जाट निवासीगण जालनियासर तहसील डेह जिला नागौर,

बनाम

प्रतिवादीगण

1. गेनी देवी पत्नी तेजाराम जातियान जाट निवासीगण जालनियासर तहसील डेह जिला नागौर,
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार डेह

दावा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति –

1- वादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी एडवोकेट

2- प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री शिवकुमार पारासर एडवोकेट

: : डिक्री आदेश : :

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री शिवकुमार पारासर एडवोकेट की उपस्थिति में हुक्म दिया जाता है व जारी दी जाती हैं कि :–

1. वादी भंवरलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जालनियासर में खेत खसरा नम्बर 237 रकबा 0.6313 हैक्टेयर में से आधा उत्तरी भाग माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. वादी जेठाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जालनियासर में खेत खसरा नम्बर 237 रकबा 0.6313 हैक्टेयर में से आधा दक्षिणी भाग माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. प्रतिवादी गेनी देवी के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी स्वयं द्वारा अपना हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्युटि जमा होने पर राजस्व रिकॉर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।
4. उक्त खसरान के बैंक के रहन कि स्थिति में रहन यथावत रहेगा। सूचित रहे।
5. वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा डिक्री आदेश का भाग रहेगा।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल